न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/303 दायरा दिनांक 02.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलादीनखॉ दत्तक पुत्र बागेखॉ जाति कायमखानी निवासी अलखपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. बाबूखॉ पुत्र मलेखॉ उर्फ मनोहरखॉ 2. जसूखॉ पुत्र वाजीदखॉ 3. कादरखॉ पुत्र वाजीदखॉ 4. महबूबखॉ पुत्र वाजीदखॉ 5. नबाबखॉ पुत्र वाजीदखॉ 6. हाकमअलीखॉ पुत्र नजीरखॉ 7. फुलमोहम्मद पुत्र नजीरखॉ 8. रहमान पुत्र नजीरखॉ 9. सतार पुत्र नजीरखॉ 10. रमजानखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 11. शांकतअलीखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी अलखपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 12. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई

निषेधाज्ञा हस्ब धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित—

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण , उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 15.11.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा अलखपुरा की शहरद मे खेत ख. न. 51 रकबा 24 बीघा, 11 बिस्वा, स्थित है।जो कुल भूमि में 1/5 हिस्सा वादी के गोदगृहिता पिता स्व. बागेखॉ पुत्र करीमखॉ की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। वादी के गोदगृहिता पिता स्व. बागेखॉ के फौत होने पर उक्त जमीन के 1/5 हिस्से मे वादी की गोदगृहिता माता मनीबानो के नाम दर्ज हुई है। नकल खतौनी सम्वत 2070—2073 पेश है।

वादी स्व. बागेखॉ पुत्र करीमखॉ जाति कायमखानी निवासी अलखपुरा का दत्तक पुत्र है। स्व. बागेखॉ का दिनाकं 19.10.1999 को स्वर्गवास हो गया है।तथा वादी की दत्तक माता व स्व. बागेखॉ की पत्नि मन्नीबानो पत्नि बागेखॉ का भी स्वर्गवास दिनाकं 19.05.2015 को हो चुका है। स्व. बागेखॉ के कोई जायन्दा पुत्र या पुत्रियॉ नही होने से वादी अलादीनखॉ जो स्व. बागेखॉ का बडे भाई अस्तअलीखॉ का लडंका है, को मुस्लीम जातिय रिति—रिवाज से समाज के मौजिज आदमियों व अपने भाई—बन्धवो व अपने रिश्तेदारो व मित्रगणो की उपस्थिति में बागेखॉ का दत्तक पुत्र मानते हुए बागेखॉ की पत्नी ने गोद ले लिया था।

वादी के दत्तक पिता बागेखॉ के पिता करीमखॉ के पॉच पुत्र अस्तअलीखॉ, बागेखॉ, मल्लेखॉ उर्फ मनोहरखॉ, वाजीदखॉ नजीरखॉ हुए। वादी के दादा करीमखॉ की वंशावली दावा मे पेश हैः—

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने दत्तक पिता बागेखॉं के फौत होने पर जातिय रिति–रिवाज से अपने गोद गृहिता पिता के सारे कियाकर्म सम्पन करवाये। तथा वादी के समस्त दस्तावेजात आधारकार्ड पहचान–पत्र राशनकार्ड आदि में वादी के पिता का नाम बागेखॉं ही दर्ज है।तथा ग्राम पंचायत अलखपुरा का जारी बागेखॉं व मनीबानों का वारीस प्रमाण–पत्र में भी वादी अलादीनखॉं को वारीस माना है। अज्ञानता वश बागेखॉं व उनकी पत्नि ने रजिस्ट्रर्ड गोदनामा नही करवाया जबकि वादी का बागेखॉं व मनीबानो की समस्त चल व अचल सम्पति पर स्व. मनीबानो के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त व हक अधिकार है।

वादी अपने गोद गृहिता पिता स्व. बागेखॉं व उनके फौत होने पर उनके स्थान पर उनकी पत्नि मनीबानो के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि जो स्व. मनीबानो के नाम खातेदारी में 1/5 हिस्सा दर्ज है उक्त भूमि को वादी अपने नाम से खातेदारी घोषित करवाने का हकदार हैं। इसलिए वादी को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा स्वं. बागेखॉं के हिस्सा व खातेदारी की 1/5 हिस्से की जमीन का म्युटेशन अपने नाम दर्ज करवाने के तत पर होने व उपरोक्त खेतो का बैचाण करने पर आमादा फिसाद है।जिससे वादी के जायज अधिकार खतरे में पड गये है। तथा प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त मे दखल कर कब्जा प्राप्त करने की फिराक में होने सें व प्रतिवादीगण दुसरो को लाठी के दम पर खेत पर कब्जा करवाना चाहते हैं । तथा ऐलानिया कहते है कि वादी की जमीन पर रातो रात कब्जा करलेगे।ऐसा होने से वादी को अजहद नुक्शान होगा, जिसकी पूर्ति नगदी से नही हो सकेगी। कई प्रकार की मुकदमेबाजी होगी।स्व. बागेखॉं व स्व. मनीबानो की उपरोक्त जमीन पर वादी का निरंतर आबाद व निर्बाध रूप से बिना किसी रोक–टोक के आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्याय संगत हैं। इसलिए यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी हुआ है। दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

प्रार्थना वादी है कि

मौजा अलखपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 51 रकबा रकबा 24 बीघा, 11 बिस्वा, में से स्व. मनीबानो पत्नि बागेखॉं के 1/5 हिस्से की खातेदारी के स्थान पर वादी अलादीन दत्तक पुत्र बागेखॉं की घोषित की जावे।तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती फरमाई जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण भविष्य में वादी के कब्जे काश्त व हक अधिकार की मौजा अलखपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 51 रकबा रकबा 24 बीघा, 11 बिस्वा, मे से मनीबानो पत्नि बागेखॉं के हिस्से मे दर्ज 1/5 हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार की कार्यवाही दखलादांजी, हस्तक्षेप, म्युटेशन बैचाण, उपयोग उपभोग मे बाधा या रुकावट आदि न तो स्वयं करे न ही अन्य ऐजेन्ट आदमी कर्मचारी से करावे ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 15.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 01, 03 ता 05 08 ता 09,व 12, के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01, 03 ता 05 08 ता 09,व 12, बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।व वादी व प्रतिवादी 02,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

06, 07,10,11 ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 02, 06, 07,10,11 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्रीओमप्रकाश पुनियॉ ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हरफूल राव ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।
अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा अलखपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 51 रकबा रकबा 24 बीघा, 11 बिस्वा, में से स्व. मनीबानो पत्नि बागेखॉ के 1/5 हिस्से की खातेदारी के स्थान पर वादी अलादीन दत्तक पुत्र बागेखॉ की घोषित की जाती है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **15.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/303

दायरा दिनांक 02.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलादीनखॉं दत्तक पुत्र बागेखॉं जाति कायमखानी निवासी अलखपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. बाबूखॉं पुत्र मलेखॉं उर्फ मनोहरखॉं 2. जसूखॉं पुत्र वाजीदखॉं 3. कादरखॉं पुत्र वाजीदखॉं 4. महबूबखॉं पुत्र वाजीदखॉं 5. नबाबखॉं पुत्र वाजीदखॉं 6. हाकमअलीखॉं पुत्र नजीरखॉं 7. फुलमोहम्मद पुत्र नजीरखॉं 8. रहमान पुत्र नजीरखॉं 9. सतार पुत्र नजीरखॉं 10. रमजानखॉं पुत्र अस्तअलीखॉं 11. शोकतअलीखॉं पुत्र अस्तअलीखॉं समस्त जाति कायमखानी निवासी अलखपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 12. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई

निषेधाज्ञा हस्ब धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.

दिनांक 15.11.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री वादी की और से अधिवक्ता अशोक कुमार भाकर व श्री, प्रतिवादी, अनु0 की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, मौजा अलखपुरा की शहरद में खेत ख.न. 51 रकबा रकबा 24 बीघा, 11 बिस्वा, में से स्व. मनीबानो पत्नि बागेखॉं के 1/5 हिस्से की खातेदारी के स्थान पर वादी अलादीन दत्तक पुत्र बागेखॉं की घोषित की जाती है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

नीज........–........ मुबलिंग..........–.......... बाबत..................–..................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह........–........ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
म्प अर्जीदावा			म्प वकालतनामा		
म्प वकालतनामा			म्प अर्जी		
म्प वजह सबूत			नताना वकील		
नताना वकील			र्ची गवाहान		
र्ची गवाहान			स कमिश्नर		
स कमिश्नर			त इजराय हुक्मनामा		
त इजराय			फर्रिक		
मनामा					
फर्रिक			मान		
मान					

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner